



कार्यालय सहायक अभियन्ता(प्रथम),
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत



Ph. No. 05966-220679, Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 388/36 रफी
सेवा में,

दिनांक रानीखेत, 15-02-2020।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में झिमार से तल्ला विरलगांव तक (6.250 किमी.) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.6802 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/36077/2018)

विषय :- भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/०६/१४०/२०२०/एफ.सी./१८२७ दिनांक 26.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, देहरादून द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 7 बिन्दुओं पर ऑन लाईन आपत्ति लगायी गयी है, जिनका निराकरण ऑन लाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	राज्य सरकार alternative समरेखण explore करें तथा alternative में का उचित परीक्षण कर विवरण प्रस्तुत करें।	मोटर मार्ग का वन भूमि प्रस्ताव गठित करने से पूर्व विभाग द्वारा दो समरेखणों पर विचार किया गया। एलटरनेट एलॉगमेंट में वृक्षों की संख्या अधिक आने व अधिक हियरपिन बैण्ड आने तथा मोटर मार्ग की लम्बाई बढ़ने के कारण एलटरनेट एलॉगमेंट को निरस्त कर प्रस्तावित समरेखण पर ही वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया।
2.	राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित कर ऑन लाईन पैरा C(ii) (b), Part I पर अपलोड करें।	कै०एम०एल० फाईल में लाभान्वित ग्रामों को अंकित कर ऑन लाईन पैरा c(ii)(b) पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
3.	State Govt. may mention the date and area in the Village Level committee (VLC) meeting proceedings.	वनाधिकार प्रमाण पत्र के ग्राम स्तरीय बैठक के अनापत्ति में प्रस्ताव का क्षेत्रफल व दिनांक अंकित कर वनाधिकार प्रमाण पत्र को ऑन लाईन पार्ट-1 के पैरा K में आन कर दिया गया है।
4.	Proposal road is passing through CA area. Therefore, State Govt. may propose the additional area equivalent to overlapping area for CA.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण अन्तर्गत जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र आ रहा है उससे मोटर मार्ग ली गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के क्षेत्रफल में असर नहीं पड़ता है।
5.	As per DSS analysis, 4 ha area found in MDF proposed in civil and soyam land. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या आपके स्तर से अपलोड किया जाना है।
6.	State Govt. may upload the Muck Disposal Plan.	मक डिस्पोजल प्लान को पुनः पार्ट-1 के एडिशनल इनफार्मेशन में ऑन लाईन कर दिया गया है।
7.	District Profile details filled by DFO in Part II found incorrect. Total forest area diverted is mentioned as 9762986 ha which is not correct. State Government may provide the correct information in district profile at para 14, Part III.	इस बिन्दु का निराकरण आपे स्तर से होना है।
8.	State Govt. May upload the tree enumeration list on online web portal.	वृक्षों की सूची (पेड़ों की लिस्ट) पुनः ऑन लाईन पार्ट-1 के एडिशनल इनफार्मेशन में अपलोड कर दी गयी है।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।